



(viii) योजना के कार्यान्वयन में विलम्ब के कारण अगर प्राक्कलित राशि की पुनरीक्षण की आवश्यकता पड़ी तो इसके लिए बिहार चिकित्सा सेवाएँ एव आधारभूत संरचना निगम, पटना के संबंधित पदाधिकारी जिम्मेवार माने जायेंगे।

3- उक्त केन्द्र प्रायोजित योजना के अधीन 50 शय्या युक्त एकीकृत आयुष अस्पताल, दरभंगा के भवन निर्माण में राशि की व्यय हेतु केन्द्रांश मद एवं सामानुपातिक राज्यांश मद के तहत 60:40 के अनुपात में क्रमशः केन्द्रांश मद की राशि ₹0 8,85,23,400/- (रूपये आठ करोड़ पचासी लाख तेईस हजार चार सौ) तथा राज्यांश मद की राशि ₹0 5,90,15,600/- (रूपये पाँच करोड़ नब्बे लाख पन्द्रह हजार छः सौ) मात्र अर्थात् कुल ₹0 14,75,39,000/- (चौदह करोड़ पचहत्तर लाख उनचालीस हजार रूपये) मात्र निर्धारित की गयी है। उक्त केन्द्र प्रायोजित स्कीम हेतु वर्तमान में ₹0 2.00 करोड़ की Mother Sanction प्राप्त है, जो राज्य आयुष समिति के SAAP-2025-26 हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृत Mother Sanction के अधीन है। शेष राशि आगामी वित्तीय वर्ष में प्राप्त Mother Sanction के अधीन विकलनीय होगा।

4- इस व्यय का वहन मॉडल सं-20 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-02 शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ, लघु शीर्ष-200 अन्य पद्धतियाँ, उपशीर्ष- 0202-औषधीय पौधों संबंधी मिशन सहित राष्ट्रीय आयुष मिशन, विपत्र कोड-20-2210-02-200-0202 अंतर्गत विषय शीर्ष-31-05 सहायक अनुदान-परिसंपत्तियों के निर्माण मद से विकलनीय होगा। उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य आयुष समिति कार्यान्वयन एजेन्सी के रूप में नामित है। उक्त केन्द्र प्रायोजित योजना हेतु उपरोक्त कार्यान्वयन एजेन्सी को SNA SPARSH अंतर्गत व्यय हेतु राशि की अधिरीमा दी जायेगी।

5- उक्त राशि की निकासी हेतु निकासी एव व्ययन पदाधिकारी अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग बिहार, पटना होंगे और नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे। संबंधित कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा भारत सरकार एवं वित्त विभाग के पत्र सं0-879 दिनांक-24.01.2025 व अन्य के दिशा निर्देशों के अनुरूप विधिवत् प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए राशि का व्यय करेंगे।

6- योजना अंतर्गत केन्द्रांश एवं राज्यांश मद में स्वीकृत राशि का व्यय "Just-In-Time" release of Centrally Sponsored Schemes (CSS) funds through SNA SPARSH Model के अनुसार वित्त विभाग के पत्रांक-879, दिनांक-24.01.2025 सह संलग्न Department of Expenditure (PFMS Division), Ministry of Finance, Govt of India के Office Memorandum F No. 1(27)/PFMS/2020 दिनांक-13.07.2023 एवं Office Memorandum F No. 1(27)/PFMS/2020 दिनांक-07.08.2023 में अंकित प्रावधानों के आलोक में किया जायेगा।

7- ई-क्यूबेर प्लेटफॉर्म के माध्यम से केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि "Just-In-Time" पर जारी करने हेतु SNA SPARSH Model (PFMS Division) के अंतर्गत विभाग द्वारा राज्य आयुष समिति के माध्यम से खोले गये Drawing Account की विवरणी निम्नवत् है :-

केन्द्र प्रायोजित स्कीम का नाम	SNA SPARSH खाता का नाम	SNA SPARSH खाता संख्या
National Ayush Mission	GOBHSPARSH BR176BrNAM9158. Reserve Bank Of India, Patna	01585501193


8- राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561 वि0(2), दिनांक-17.04.98, 8543 वि0(2), दिनांक-27.11.2007, पत्रांक 879, दिनांक 24.01.2025, पत्रांक 12888, दिनांक-03.12.2024 एवं अद्यतन परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

9- राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी।

10- उक्त योजना विभागीय पत्रांक 41(आ०वि०) दिनांक 07.01.2026 द्वारा स्वीकृत एवं विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 06.02.2026 को आयोजित स्कीम स्कीनिंग समिति द्वारा अनुशसित है।

- 11- प्रस्ताव एवं प्रारूप में सचिव, स्वास्थ्य विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।
- 12- राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-07/बजट-46-54/2025-के पृष्ठ-31/टि0 में प्राप्त है।
- 13- संबंधित प्रस्ताव में महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

  
(शंभु शरण)


सरकार के अपर सचिव।

*Muzed*

ज्ञापांक:- 07/बजट-46-54/2025-99(7A)/स्वा0, पटना, दिनांक-25/02/2026

**प्रतिलिपि**-योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, अस्पताल रोड, शास्त्रीनगर, पटना/कार्यपालक निदेशक, राज्य आयुष समिति, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा/जिला पदाधिकारी, दरभंगा/ सिविल सर्जन, दरभंगा/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

**प्रतिलिपि**:-माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना/महानिदेशक (आयुष), आयुष निदेशालय, बिहार, पटना/निदेशक (आयुर्वेद)/अवर सचिव सह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा, आयुष निदेशालय, बिहार, पटना/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-7ए / आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के अपर सचिव।

*Muzed*